



फतेहगढ़ पुलिस



Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

कोतवाली फतेहगढ़

दि०-25.05.2026

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० लखनऊ महोदय के निर्देशन अभियुक्तगण को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारो को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्त मोनू उर्फ पुष्पेन्द्र सिंह पुत्र सतेन्द्र सिंह उर्फ मुन्नू निवासी ग्राम बहेलियन नगला उर्फ हुल्ली सिंह नगला मौजा हुसैनपुर नवखण्डा थाना कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फरुखाबाद के विरुद्ध मु०अ०स०- 522/2023 वाद संख्या 185/2024 धारा 302/307/384/323/504/506/34 भादवि० कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फतेहगढ़ में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त के विरुद्ध मा० न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार / कोर्ट मोहरीर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए मा० न्यायालय ए०डी०जे० - 07 कोर्ट द्वारा दिनांक 25.05.2026 को दोषसिद्ध कर आजीवन कारावास की सजा 28000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



एडीजीसी - श्री संजीव कुमार मिश्रा



को० मो० म०हे०का० सुशीला



पैरोकार - हे०का० श्याम सिंह

उत्तर प्रदेश



फतेहगढ़ पुलिस



Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

थाना कमालगंज

दि0-25.05.2026

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० लखनऊ महोदय के निर्देशन अभियुक्तगण को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारो को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्तगण 1.अखिल गुप्ता 2.अमित गुप्ता 3.निखिल गुप्ता पुत्रगण घनश्याम गुप्ता 4.राहुल गुप्ता 5.संदीप गुप्ता पुत्रगण मुन्नु गुप्ता उर्फ शिवश्याम गुप्ता 6.निहाल पुत्र राजवीर 7.रोहित गुप्ता पुत्र गिरीश चन्द्र 8.हर्य गुप्ता 9.जतिन गुप्ता पुत्रगण उमाकान्त गुप्ता निवासीगण सुभाष नगर थाना कमालगंज जिला फर्रुखाबाद मु०अ०स०- 311/2020 बाद संख्या1027/2022 धारा 147/148/149/323/324/307 भादवि थाना कमालगंज जनपद फतेहगढ़ में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त के विरुद्ध मा० न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार /कोर्ट मोहरीर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए मा० न्यायालय विशेष न्यायाधीश डकैती कोर्ट द्वारा दिनांक 25.05.2026 को अभियुक्त को दोषसिद्ध कर 10-10 वर्ष का कारावास की सजा व 66000/- 66000/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



एडीजीसी - अनुज प्रताप



को० मो० - हे०का० हरवेन्द्र सिंह



पैरोकार - हे०का०मो० हारसन